No. AD-13/4/2019-Admin
भारत सरकार / Government of India
संचार मंत्रालय / Ministry of Communications
डाक विभाग / Department of Posts
प्रशासन अनुभाग /Administration Section
*****

डाक भवन, संसद मार्ग / Dak Bhawan, Sansad Marg
नई दिल्ली / New Delhi-110001
Dated: 26th May, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Framing of Recruitment Rules of Staff Car Driver (Special Grade) in Department of Posts (Headquarters), Ministry of Communications and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA)- reg.

The undersigned is directed to refer to the above-mentioned subject in terms of DoP&T's O.M. No. AB-14017/61/2008-Estt.(RR) dated 13.10.2015 and to say that stakeholders are hereby requested to submit their comments, if any, to the undersigned on the draft Recruitment Rules for the post of Staff Car Driver (Special Grade) Department of Posts (Headquarters), Ministry of Communications and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA) within 30 days from the issuance of this O.M.

2. This issues with the approval of Competent Authority.

Encl.: As above.

Digitally signed by
PRINCE GARG
Date: 26-05-2026
12:48:14

(Prince Garg)
Assistant Director General (Admin.)

To
1. Indiapost website.
2. Joint Director, RAKNPA, Ghaziabad.

[To be published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the ____, 2026

NOTIFICATION

G.S.R. ___(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in Department of Posts (Headquarters), Ministry of Communications and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA), namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Ministry of Communications, Department of Posts, Staff Car Driver (Special Grade), in Department of Posts (Headquarters) and Rafi Ahmad Kidwai National Postal Academy (RAKNPA), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the Pay Matrix-** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc-** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion

that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of Post**	**Classification**	**Pay Level**	**Whether Selection/ Non-Selection post**	**Age Limit**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**
1	2	3	4	5	6	7	8
Staff Car Driver (Special Grade)	1 (2026) *Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 of the Pay Matrix, 7th CPC (Rs. 35400/- to Rs. 112400/-)	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	**Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled**	**In case of recruitment/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**

	by various methods.	**absorption to be made**		
9	10	11	12	13
2 years	Promotion	Promotion Staff Car Driver Grade-I in Level- 5 of the Pay Matrix, 7th CPC with 3 years regular service in the grade.	Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering promotion: i) Deputy Director General/Joint Secretary– Chairman ii) Director– Member iii) Director– Member	Not necessary

[F. No. AD-13/4/2019-Admn.]

Prince Garg, Assistant Director General (Admin.)

No. AD-13/4/2019-Admin
भारत सरकार / Government of India
संचार मंत्रालय / Ministry of Communications
डाक विभाग / Department of Posts
प्रशासन अनुभाग /Administration Section
*****

डाक भवन, संसद मार्ग / Dak Bhawan, Sansad Marg
नई दिल्ली / New Delhi-110001
Dated: 26th May, 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: डाक निदेशालय एवं रा.अ.कि. राष्ट्रीय डाक अकादमी (RAKNPA), डाक विभाग, संचार मंत्रालय, डाक भवन में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के भर्ती नियमों के निर्माण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में यह कहने का निर्देश हुआ है कि डाक विभाग (मुख्यालय), संचार मंत्रालय तथा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (RAKNPA) में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) पद के मसौदा भर्ती नियमों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, इस कार्यालय ज्ञापन के निर्गमन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

(प्रिंस गर्ग)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

1. इंडियापोस्ट वेबसाइट।
2. संयुक्त निदेशक, (RAKNPA), गाज़ियाबाद।

[भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक ___, 2026

अधिसूचना

सा.का.नि. ___(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार मंत्रालय, डाक विभाग (मुख्यालय) तथा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (RAKNPA) में स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार मंत्रालय, डाक विभाग, डाक विभाग (मुख्यालय) तथा रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (RAKNPA), स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2026 होगा।

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स का स्तर होगा।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि.— उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा अन्य विषय उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
4. निरर्हता.— कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो, जिसकी पत्नी या पति जीवित हो; या

(ख) जिसने अपनी पत्नी या पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण, आयु-सीमा में शिथिलता तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	चयन/अचयन पद	आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों पर लागू होंगी
स्टाफ कार चालक (विशेष ग्रेड)	1 (2026) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अ-मंत्रालयिक	वेतन मैट्रिक्स स्तर-6, 7वाँ सीपीसी (रु. 35400/- से 112400/-)	अचयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए जाने की परिस्थितियाँ
2 वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स स्तर-5, 7वाँ सीपीसी में स्टाफ कार चालक ग्रेड-I, जिन्होंने उस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु): (i) उप महानिदेशक/संयुक्त सचिव – अध्यक्ष (ii) निदेशक – सदस्य (iii) निदेशक – सदस्य	आवश्यक नहीं

सं. AD-13/4/2019-Admn.

प्रिंस गर्ग

सहायक महानिदेशक (प्रशा.)